समाहरणालय, मधेपुरा

(शस्त्र शाखा)

ज्ञापांक........................../शस्त्र, जिला शस्त्र शाखा, मधेपुरा,

दिनांक.............................

प्रेषित,

श्री गजेन्द्र प्रसाद यादव, पुत्र स्व0 रघुनंदन प्रसाद यादव, ग्राम–भिटकिया, टोला वुद्धू, पों0–घैलाढ़, थाना–मधेपुरा (सम्प्रति–घैलाढ़), जिला–मधेपुरा

विषय : **शस्त्र अनुज्ञप्ति धारित शस्त्र का दिए गए निर्धारित तिथि तक भौतिक सत्यापन नहीं कराये जाने कारण स्पष्टीकरण के संबंध ।**

अनुज्ञप्ति संख्या	शस्त्र का प्रकार	नवीकृत वर्ष	विलम्ब का अवधि		
			वर्ष	माह	दिन
08 /83 (मधेपुरा थाना)	D.B.B.L GUN	2010	2	12	9

इस कार्यालय के पत्रांक 1835/गो0, दिनांक 09-09-2013 तथा वेतार संवाद संख्या 462/वि0, दिनांक 08-10-2013 द्वारा मधेपुरा जिलान्तर्गत सभी शस्त्र अनुज्ञप्तियों पर धारित आग्नेयास्त्रों के भौतिक सत्यापन एवं डाटा बेस तैयार करने हेतु क्रमशः दिनांक 04-10-2013 एवं 05-10-2013 तथा दिनांक19.10.2013 को अपने संबंधित थाना में उपस्थित होकर विहित प्रपत्र में विवरणी भरकर अनुज्ञप्ति पर धारित शस्त्र का भौतिक सत्यापन कराने हेतु निदेश दिया गया था, जिसकी सूचना सभी मुख्य-मुख्य दैनिक समाचार पत्रों में क्रमश दिनांक 30-09-2013 (पी0आर0नं0-7235 (जिला)13-14 एवं 12-10-2013 (पी0आर0नं0-7819 (जिला)13-14) को प्रकाशित था, परन्तु आपके द्वारा निर्धारित तिथि को अपने शस्त्र अनुज्ञप्तियों पर धारित आग्नेयास्त्रों का भौतिक सत्यापन नहीं कराया है, जो शस्त्र नियमावली 1962 की धारा-63 एवं आग्नेयास्त्र अनुज्ञप्ति की शर्त्त-9(ए) का उल्लंधन एवं धोर लापरवाही का द्योतक है।

आपके इस कृत के लिए आपके के नाम से निर्गत उक्त शस्त्र अनुज्ञप्ति को शस्त्र अधिनियम की धारा 17 (3) के तहत् तत्कालिक प्रभाव से निलंवित किया जाता है

अतएव आदेश दिया जाता है कि आप अपना स्पष्टीकरण साक्ष्य सहित दिनांक 30-12-13 तक विहित प्रपत्र में विवरणी को भरकर (जो मधेपुरा जिला के बेबसाईट **http://www.madhepura.bih.nic.in** पर उपलब्ध है) अद्योहस्ताक्षरी के अवलोकनार्थ स्वंय या अपने अधिवक्ता के माध्यम से समर्पित करना सुनिश्चित करें कि दो-दो बार सभी मुख्य-मुख्य दैनिक समाचार पत्रों में क्रमश दिनांक 30-09-2013 एवं 12-10-2013 को प्रकाशन कराए जाने के बावजूद भी आपके द्वारा क्यों नहीं अपने अनुज्ञप्ति पर धारित शस्त्र का भौतिक सत्यापन कराया गया। उक्त तिथि तक स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने की स्थिति यह समझा जाएगा कि आपको कुछ नहीं कहना है एवं आपकी अनुज्ञप्ति को रद्द करने की कार्रवाई कर दी जाएगी।

ह0/-

जिला दण्डाधिकारी,

मधेपुरा।

ज्ञापांक....29................/शस्त्र, मधेपुरा, दिनांक....12/12/13

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, मधेपुरा/उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : थानाध्यक्ष, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि थाना में संधारित शस्त्र निरीक्षण पंजी में भी इसकी प्रविष्ठि करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही वे उक्त अनुज्ञप्तिधारी के पता पर तामिला करा कर उनके निवास स्थान/ पता के संबंध में जॉच कर प्रतिवेदन पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा के माध्यम से समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।

12/12/13

जिला दण्डाधिकारी,

मधेपुरा।